

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बाजदायरी जांच पत्र
स्वीकार
20/11/2017

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम

अजमेर

महावीर उषाड ५०३ श्री जयकुमार अजमेरा प्राति बनाम शैलेन्द्रादि संवेती ५०३ श्री मेजाहरादि संवेती,

जे.न. नि. कृषि मशी बोर्ड, बिजयनगर, त.० विजयनगर
(जिला अजमेर)

नि. स्टेशन रोड गुलाबपुरा त.० हनुमान (भीलवाडा)
व अजमेर

किस्म मुकदमा बाजदायरी जांच पत्र नम्बर ३०७ सन् २०१७ (मसूदा)
(अवल क्विरी)

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
20/11/2017	श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, एडवोकेट श्री	
	<p>यह प्रार्थना पत्र श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 07.12.2017 को अपील को अदम हाजरी एवम् अदम पैरवी में खारिज किये जाने से खारिज किये जाने के विरुद्ध पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 31.01.2018 को नियत थी, दिनांक 05.12.2017 को अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 07.12.2017 नियत की गई थी। बरवक्त न्यायालय हाजा द्वारा आवाजें दिलाये जाने पर प्रार्थी अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकें जिससे अपील को दिनांक 07.12.2017 को अदम हाजरी एवम् अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गयी। प्रार्थी के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि उसे पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है जब उसकी आवश्यकता होगी तो उसे बुला लिया जायेगा इस कारण प्रार्थी स्वयं भी पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जानबूझ कर कोई लापरवाही नहीं की गयी है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जो त्रुटि कारित हुई है वह एक सद्वकि त्रुटि होने से क्षमा किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत हैं। न्यायहित में अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर, अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे।</p> <p>अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर


PT.C.

307/2017/काजप्र० का

माफूस

महावीर

बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरे

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शोकिन्दास गुप्तर, एड० अपी० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
निरस्तव	<p>महावीर बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरह</p> <p>स्वीकार कर, अपील का निर्णय गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07.12.2017 को निरस्त किया जाता है एवम् अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी बजयोर</p>	